डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 89] रायपुर, सोमवार, दिनांक 8 अप्रैल 2002—चैत्र 18, शक 1924

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 8 अप्रैल, 2002 (चैत्र 18, 1924)

क्रमांक 4592/वि.स./विधान/2002.—दिनांक 26 मार्च, 2002 को नियम समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया गया, जिसे विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमावली के नियम 231 (3) के अनुसार समिति की सिफारिशों को नियम 231 (5) के अधीन सदन द्वारा अनुमोदित माना गया.

अतः जनसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रतिवेदन प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(भगवानदेव ईसरानी)
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियम समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन

विधान सभा नियमावली के वर्तमान नियम 232 को संशोधित कर निम्नानुसार नियम 232 (1) से (8) तक स्थापित किया जाये :—

"(ट) सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति

समिति का गठन एवं कृत्य.

232 (1) प्रत्येक विधान सभा के आरंभ होने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा सदस्यों के सुख-सुविधाओं एवं शासकीय अधिकारियों द्वारा माननीय सदस्यों के साथ किए जाने वाले असम्मानजनक व्यवहार से संबंधित समस्त विषयों पर विचार करने, मंत्रणा देने एवं असम्मानजनक व्यवहार से संबंधित शिकायतों की जांच कर सभा को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु "सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति" की नियुक्ति की जाएगी. इसमें अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित 9 सदस्य रहेंगे, जिनमें से एक सभापति होगा.

(2) सदस्य शासन के निर्देशों, आदेशों के विपरीत अथवा ऐसे आदेशों के उल्लंघन से संबंधित शासकीय कार्यालयों तथा शासकीय अधिकारियों द्वारा उनके साथ किए गए असम्मानजनक व्यवहार, दुर्व्यवहार की शिकायत, जो हाल ही में घटित हुई हो, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत कर सकेगा.

(3) ऐसी किसी शिकायत के प्राप्त होने पर अध्यक्ष शिकायत की प्रारंभिक जांच के लिए अग्रसर होगा और ऐसी प्रक्रिया अपनाएगा, जैसा कि वे उचित समझे.

(4) प्रारंभिक जांच उपरांत अध्यक्ष या तो शिकायत को अग्राह्य कर सकेगा, या उसे जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के लिए "सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति" को संदर्भित कर सकेगा.

(5) समिति उसे संदर्भित शिकायत की जांच में ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी, जैसा कि विशेषाधिकार समिति के संबंध में विहित की गई है तथा शिकायत पर अपना प्रतिवेदन सभा को प्रस्तुत करेगी.

समिति यदि ऐसा करना आवश्यक समझे तो गंभीर मामलों को जांच एवं अनुशंसा के लिए विशेषाधिकार समिति को भेज सकेगी.

परंतु ऐसा अध्यक्ष की अनुमति से ही हो सकेगा.

(6) सदस्य क्षेत्रीय विकास निधि से उनके विधान सभा क्षेत्रों में स्वीकृत किए गए कार्यों के प्रस्तावों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही नहीं करने, प्रस्तावित कार्यों को आरंभ नहीं करने अथवा उसमें अनावश्यक रूप से विलंब करने संबंधित शिकायतें अध्यक्ष को प्रस्तुत कर सकेगा.

(7) ऐसी किसी शिकायत के प्राप्त होने पर अध्यक्ष शिकायत को जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के लिए सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति को संदर्भित करेगा.

(8) समिति, उसके संदर्भित शिकायत की जांच में ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी, जैसा कि समिति अवधारित करे तथा शिकायत पर अपना प्रतिवेदन सभा को प्रस्तुत करेगी."

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.